

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2014—श्रावण 21, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. डी-15-18-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 145-13-इंदौर, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति राजगढ़ के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत मांगोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.047 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	556/2	4.047
	योग . .	4.047

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—कृषि भूमि.

दक्षिण में—कृषि भूमि.

पूर्व में—आम रास्ता.

पश्चिम में—आम रास्ता.

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. डी-15-18-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th August 2014

No. D-15-18-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Rajgarh has been established by this department's Notification even No. 145-13- Indore, dated 9th June 1953 shall be sub market yard namely:—

**PLACE**

An area of 4.047 hectare land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat Mangod in Tehsil Sardarpur of District Dhar:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectare)
(1)	(2)	(3)
1	556/2	4.047
	Total . .	4.047

**BOUNDED BY**

**On the North by**—Agriculture Land

**On the South by**—Agriculture Land

**On the East by**—Public Way.

**On the West by**—Public Way.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. डी-15-18-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2014 के द्वारा घोषित मण्डी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति राजगढ़, जिला धार के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमण्डी क्षेत्र घोषित करती है:—

**क्षेत्र**

- (1) ग्राम पंचायत मांगोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
  - (2) उपमण्डी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
- (1) मांगोद, (2) अमझेरा, (3) राजपुरा, (4) बोदेडी, (5) आतेडी, (6) खाकेडी, (7) केशरपुरा (निपानिया), (8) हातौद.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. डी-15-18-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th August 2014

No. D-15-18-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department notification even number dated 12th August 2014 the following area of Rajgarh of district Dhar shall be sub-market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Mangod in Tehsil Sardarpur of District Dhar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub market yard namely:—
  - (1) Mangod, (2) Amjhera, (3) Rajpura, (4) Bodedi, (5) Aatedi, (6) Khakedi, (7) Kesharpura (Nipaniya), (8) Hatod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.